बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 260.871 करोड़ रूपये (दो सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार रू० मात्र) के व्यय पर भागलपुर शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 254.13 करोड़ रूपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 6.741 करोड़ रू० (छः करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों/प्रतिष्ठानों एवं शहर के प्रमुख 21 नालो को सिवरेज प्रणाली से जोड़ा जाना है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर Interception & Diversion एवं STP का डी०पी०आर० तैयार कर NMCG भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसे NMCG द्वारा पत्रांक T-13/2017-18/057 NMCG Bhagalpur दिनांक–12.10.2017 को योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव के पर राशि 254.13 करोड़ रूपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रू० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना अन्तर्गत सिवरेज प्रणाली के माध्यम से आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को नाला के जरिये Sewage Treatment Plant तक पहुँचाया जायेगा। सिवेज को ट्रीटमेंट उपन्रात प्रवाह किया जाएगा, ताकि गंगा में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। आवश्यकतानुसार बीच में 10 Pumping Station का भी निर्माण प्रस्तावित है। ताकि Sewage को STP के माध्यम से ट्रीट किया जाय। योजना का अनुमानित लागत (सेन्टेज सहित) 260.871 करोड़ रूपये (दो सौ साठ करोड़ सतास्सी लाख दस हजार रू० मात्र) है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है।

योजना का Major Component निम्नवत् है:–

Sl. No.	Major Head	Quantity
1.	Development of Sewerage Treatment Plant	65 MLD Capacity
2.	Sewage Pumping Station	10 Nos.
3.	Number of Nalas to be Tapped	21 Nos.
4	Operation & Maintenance	15 Years.

2. <u>योजना का उद्देश्य</u> :–

भागलपुर बिहार राज्य का एक प्राचीन शहर है। इसके साथ यह पूर्वी बिहार का शहर है। भागलपुर शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि0 मी0 की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर के untreated sewage को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए Interception & Diversion एवं STP का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस योजना अन्तर्गत 21 नाला यथाः 1. Barari Ghat Nala, 2. Burhanath Nala, 3. Hanuman Ghat Nala, 4. Mayaganj Bari Khenjarpur (Maya Ganj Nala-2), 5. Maharaj Ghat, 6. Khirni Ghat, 7. Koyla Ghat, 8. Adampur, 9. Mandir Ghat, 10. Mansoorganj, 11, Sakhichand, 12. Shanti Bajar, 13. Naya Bazar, 14. Naya Bazar 2nd Nala, 15. University Nala, 16. Champa Nala, 17. Kali Ghat Nala, 18. Champa Nagar Hari Tola, 19. Champa Nala road, 20. Ward No. 42 Nala, 21. Krishna Road Nala. से प्राप्त सिवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। भागलपुर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को नाला के जरिये संबंधित Sewage Treatment Plant तक पहुँचाया जायेगा। ताकि Sewage को STP के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार Sewage को शोधित कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा।

3. <u>योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा</u> :–

वर्तमान समय में नालों से प्राप्त होने वाले सिवेज को ट्रीट करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके वजह से नाले से प्राप्त होने वाले पानी सीधे गंगा में प्रवाह हो रहा हैं। नाले से प्राप्त होने वाले सिवेज को साफ करने हेतु Interception & Diversion एवं STP का निर्माण किया जाना है। इस योजना को 36 माह में पूरा किया जाना है। STP के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख–रखाव किया जाना है।

4. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत :–

भागलपुर शहर में नाले से प्राप्त होने वाली गंदे पानी को ट्रीटमेंट करने हेतु 65 MLD क्षमता के STP एवं Interception & Diversion (NMCG-Namami Gange Programme with 100% funding by NMCG) भारत सरकार द्वारा संपोषित योजना है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या– एम–4–26/2013/653/वि० पटना, दिनांक–25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि कुल 6.742 करोड़ रू० (छः करोड़ चौहत्तर लाख बीस हजार रू० मात्र) का वहन किया जाना है। इस योजना की प्राक्कलित राशि रूपये 254.13 करोड़ रूपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रू० मात्र) है, जिस पर सेन्टेज की कुल राशि रूपये 6.741 करोड़ जोड़ने पर कुल लागत राशि रूपये 260.871 करोड़ रूपये (दो सौ साठ करोड़ सतास्सी लाख दस हजार रू० मात्र) आती है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:–

राशि करोड़ में।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश (100%)	राज्यांश सेन्टेज राशि (2.653%)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2	3	4	5
1	2018-2019	65.21	1.730	66.94
2	2019-2020	86.95	2.306	89.256
3	2020-2021	65.21	1.730	66.94
4	2021-2022 (O&M Cost for 15 years)	36.76	0.975	37.735
कुल राशि		**254.13**	**6.741**	**260.871**

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O&M कार्य संवेदक द्वारा 15 वर्षों तक किया जाना है।

5. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–15.05.2018 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0–19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. अतः भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 100% अनुमानित लागत कुल रू० 260.871 करोड़ रूपये (दो सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार रू० मात्र) के व्यय पर भागलपुर शहर में Interception & Diversion एवं STP परियोजना के निर्माण हेतु जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 254.13 करोड़ रूपये (दो सौ चौवन करोड़ तेरह लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 6.741 करोड़ रू० (छः करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर /नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :–03/नमामि गंगे-06-11/2018 न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/नमामि गंगे-06-11/2018 1227 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक 22-5-18

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा/निदेशक, NMCG, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.5.2018

सरकार के प्रधान सचिव।